लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम

समय : 01 घन्टा **अधिकतम अंक : 50**

1. **प्रथम प्रश्न पत्र :** दिये गये अपठित गद्यांश (हिन्दी) का सारांश लिखना, निर्दिष्ट विषय पर पत्र, सरकारी पत्र, टिप्पणी अथवा आदेश का आलेख्य बनाना, शासकीय सेवा की सामान्य शर्तें, उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–2002, उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003, सेवा अभिलेखों का रख–रखाव एवं प्रविष्टियों का अंकन।

समय : 01 घन्टा **अधिकतम अंक : 50**

2. **द्वितीय प्रश्न पत्र :**

   प्रथम भाग (कम्प्यूटर) कम्प्यूटर का सामान्य परिचय, बिलों को कम्प्यूटर से तैयार करना, ऑफिस ऑटोमेशन, ई–मेल, इन्टरनेट आदि का सामान्य ज्ञान।

   द्वितीय भाग (वाणिज्य लेखा) दोहरी लेखा पद्धति के उद्देश्य, लेखा विधि जरनल एवं सब्सीडियरी लेजर (Subsidiary Ledger), जनरल इन्ट्री एवं खाते में प्रविष्टि, अशुद्धियों के सुधार की प्रविष्टियां एवं सामान्य प्रविष्टियां, तलपट, लाभ–हानि खाता तथा संतुलन पत्र, ह्रास (Depriciation), निक्षेप, बचत, ओवर–ड्राफ्ट, नकद साख।

समय : 01 घन्टा **अधिकतम अंक : 50**

3. **तृतीय प्रश्न पत्र :** वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि एवं वेतन सम्बन्धी अन्य मूल एवं सहायक नियम, सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन से सम्बन्धित वेतन निर्धारण, अवकाश के प्रकार तथा राजकीय कर्मचारियों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के अवकाश की सीमायें, स्वीकृति की प्रक्रिया एवं प्राधिकार, कार्यभार ग्रहण काल देयता एवं प्रतिबन्ध, यात्रा भत्ता नियम, आहरण वितरण अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, आयकर तथा व्यापार कर से सम्बन्धित स्रोत पर कर की कटौती विषयक नियम, सेवानिवृत्त लाभ जैसे– पेंशन, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, विलम्ब के लिए दायित्व निर्धारण एवं ब्याज भुगतान की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पेंशन पद्धति सम्बन्धी प्रक्रिया का ज्ञान।

समय : 01 घन्टा **अधिकतम अंक : 50**

4. **चतुर्थ प्रश्न पत्र :** उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली–2005 तथा ब्याज की गणना, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, सामूहिक बीमा योजना, आकस्मिक व्यय विषयक नियम, अस्थाई एवं स्थाई अग्रिम विषयक नियम, गबन, दुर्विनियोग एवं व्यपगत शासकीय क्षति के सम्बन्ध में कार्यवाही के सामान्य नियम, बजट प्रक्रिया, महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा तथा आपत्तियों का अनुपालन, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–2010।